प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 08.06.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त संतराम लोध को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त संतराम लोध पुत्र हीरालाल नि0 टापरपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से जामातलाशी के दौरान 01 अदद तंमचा 12 बोर व 01अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना धौरहरा व ईसानगर मे कई अवैध असलहा बनाने के अभियोग पंजीकृत है।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा आज दिनांक 08/06/2021 को मु0अ0सं0 125/2021 धारा 147/148/323/504/506/452/304 भा.द.वि. के वांछित अभियुक्तगण 1-सर्वेश कुमार पुत्र सोबरन लाल 2-दीपक पुत्र छन्नू 3-छोटे पुत्र मूलचंद निवासी गण ग्राम पिपरी कला व मु.अ.सं. 120/21 धारा 147/504/506/436/427 भा.द.वि. के वांछित अभियुक्त हामिद पुत्र नाज़िम निवासी ग्राम क्लीज़पुर थाना नीमगाँव जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 70 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.06.21 को अलग-अलग स्थानो से कुल 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया।

1. मु0अ0स0 162/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 बनाम हरीराम पुत्र रामविलास ग्राम गदनापुर थाना पसगवां खीरी मय 50 लीटर कच्ची शऱाब व शराब बनाने के उपकरण

2. मु0अ0स0 163/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 बनाम देवकुमार पत्नी स्व0 सन्तन नि0 ग्राम मडवां थाना पसगवां खीरी मय 10 लीटर कच्ची शऱाब व शराब बनाने के उपकरण

3. मु0अ0स0 164/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 बनाम कमला पत्नी स्व0 कमलेश थाना पसगवां खीरी मय 10 लीटर कच्ची शऱाब मय उपकरण के पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.06.2021 को अभियुक्त अमरीश कुमार पुत्र इतवारी निवासी लोचनपुरवा थाना मितौली खीरी को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 199/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मितौली पुलिस द्वारा पांच वर्ष से लापता/अपहृता 01 नफर युवती को सकुशल बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के निर्देशन में द्वारा थाना मितौली पुलिस द्वारा 5 वर्ष से गुमशुदा/अपहर्ता चल रही मु0अ0सं0 134/16 धारा 363/366 भादवि से संबंधित 01 नफर अपहृत युवती को मितौली पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया । बरामद उपरोक्त अपहर्ता के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है ।

पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व तत्परता के परिणास्वरूप नाबालिग गुमशुदा बालिका 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद

दिनांक 07.06.2021 को समय 20:48 बजे रात्रि में पीआरवी 2904 पर सूचना प्राप्त हुई कि मुन्ना रस्तोगी पुत्र स्व0 श्री रामनारायन रस्तोगी निवासी छाउछ थाना कोतवाली सदर की 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री कहीं गुम हो गई है। इस सूचना पर पीआरवी पर नियुक्त हे0का0 शैलेश रावत व होमगार्ड तेजपाल तत्काल सक्रिय होकर कॉलर के घर गए जहाँ कॉलर नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीआरवीकर्मियों द्वारा कॉलर को तलाश कर उसे तत्काल अपने साथ लेकर कोतवाली सदर लाया गया जिसपर कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई तथा टीम गठित कर गुमशुदा बालिका की तलाश के क्रम में 12 घंटे के अंदर बालिका को छाउछ चौराहे के पास से ही सकुशल बरामद कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा पीआरवी 2904 पर नियुक्त उपरोक्त पुलिसकर्मियों द्वारा प्राथमिक स्तर पर सूचना पर सक्रियता व तत्परता का परिचय देकर उचित कार्यवाही करने के संबंध में उनके उत्साहवर्धन हेतु 500-500 रू0 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 208 लीटर अवैध शराब, 03 अवैध शराब भट्ठी बरामद कर 11 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>208 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्ठी</u>** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **<u>11 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>10 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए। आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी एवं बरामदगी निरन्तर प्रचलित रहेगीं।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 262/21 धारा 302/147/148/149/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त अभय वाजपेई उर्फ छोटा पुत्र राकेश वाजपेई निवासी मोहल्लास तीर्थ थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

- थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 206/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त उमेश पुत्र बेचेलाल मिश्रा निवासी नकहा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अपहृता का सकुशल बरामद किया गया है।

- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 243/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र रामसागर निवासी सहरतिया थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

<u>अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>208 लीटर अवैध कच्ची शराब</u>** बरामद कर **<u>03 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना ईसानगर	80 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना गोला	40 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना नीमगांव	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना धौरहरा	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मितौली	18 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	208 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार